सी.एस.आई.आर - केन्द्रीय इलेक्ट्रोनिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान
पिलानी (राजस्थान)

संख्या : 6-20(1)/2019 - टैक्सी **दिनांक : 10/07/2020**

कार्य / सेवाओं का नाम - "सीएसआईआर-सीरी, पिलानी में टैक्सी सेवाएं प्रदान करना"

<u>सारणी</u>

क्रम सं.	**विवरण**	**पृष्ठ सं.**
1.	सूची	1
2.	ई - निविदा आमंत्रण सूचना	02-03
3.	कार्य की प्रकृति, सामान्य नियम और शर्तें	04-09
3.	तकनीकी बोली (Technical Bid) का प्रारूप	10
4.	वित्तीय / मूल्य-बोली (Financial / Price-Bid) का प्रारूप	11

<u>महत्वपूर्ण तिथियाँ</u>

i) CPP Portal पर प्रकाशित तिथि : 10.07.2020 प्रात: 09:30 बजे से
ii) निविदा प्रपत्र डाउनलोड आरंभ तिथि : 10.07.2020 प्रात: 11:00 बजे से
iii) निविदा प्रपत्र डाउनलोड समाप्त तिथि : 30.07.2020 सांय 03:00 बजे तक
iv) निविदा भरने की आरभ तिथि : 10.07.2020 प्रात: 11:00 बजे से
v) निविदा भरने की समाप्ति की तिथि : 30.07.2020 सांय 03:00 बजे तक
vi) पात्रता से संबंधित दस्तावेज (तकनीकी बोली) खोलने कि तिथि : 31.07.2020 सांय 03:30 बजे
vii) वित्तीय बोली की निविदा खोलने की तिथि को पत्र / ई-मेल द्वारा सूचित कर दिया जाएगा।

फर्म / निविदादाता / ठेकेदार का नाम : ____________________________

निविदादाता का पता : ____________________________

बैंक खाता सं. : ____________________________

बैंक का नाम तथा आईएफएससी कोड : ____________________________

मोबाईल नं. : ____________________________

निविदादाता के हस्ताक्षर : ____________________________

सी.एस.आई.आर - केन्द्रीय इलेक्ट्रोनिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान

पिलानी (राजस्थान)

संख्या : 6-20(1)/2019 - टैक्सी **दिनांक : 10/07/2020**

ई - निविदा आमंत्रण सूचना

सी.एस.आई.आर - केन्द्रीय इलेक्ट्रोनिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, पिलानी वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की एक घटक इकाई है, जो 1860 के सोसायटी अधिनियम XXI के पंजीकरण के तहत पंजीकृत सोसायटी और भारत का प्रमुख अनुसंधान एवं विकास संगठन है जिसका कार्यालय सीएसआईआर-सीरी पिलानी में स्थित है। संस्थान को विभिन्न कार्यों एवं परियोजनाओं के सम्पादन हेतु किराये पर टैक्सियों की आवश्यकता है। ये टैक्सियाँ ठेके पर दो बोली प्रणाली (Two Bid System) के तहत ई - निविदाएँ आमंत्रित करके एक वर्ष-पर्यन्त (अनुमानित लागत ₹60 लाख लगभग) आवश्यकता अनुसार उपलब्ध करायी जानी है। इस कार्य / सेवाओं का अनुमानित लागत ₹60 लाख रूपये हैं। टैक्सी सेवाओं में अनुभव और विशेषज्ञता रखने वाली पंजीकृत फर्म / एजेन्सी / ट्रांसपोर्ट आपरेटर्स दो बोली प्रणाली (भाग- I: तकनीकी बोली और भाग- II: वित्तीय बोली) के तहत इस ई - निविदा प्रक्रिया मे भाग ले सकते हैं। निम्नलिखित योग्यता रखने वाली फर्म/एजेन्सी/ट्रांसपोर्ट आपरेटर्स इस ई - निविदा प्रपत्र के लिए आवेदन कर सकते है:-

1. **फर्म/एजेन्सी/ट्रांसपोर्ट आपरेटर्स जिनके पास उनकी स्वंय की तीन (3) टैक्सियॉ (इटिओस/डिजायर/एक्सेंट/ अर्टिगा/इन्नोवा या इनके समकक्ष आदि वाहन) होनी चाहिए तथा उनका पंजीकरण भी उनके नाम पर होना चाहिए।**

2. **फर्म को (i) आयकर विभाग से जारी फर्म / एजेंसी का PAN Card (ii) फर्म का पंजीकरण प्रमाण-पत्र (iii) गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) पंजीकरण (iv) वाहनों के पंजीकरण का प्रमाण पत्र आदि (जैस कि Annexure - I में उल्लेख है) निविदा के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।**

3. **सभी टैक्सियाँ (Road worthy in all respects) अच्छी कंडीशन में होनी चाहिए तथा उनका मॉडल 2018 अथवा उसके बाद का होना चाहिए।**

4. **फर्म/एजेन्सी के पास कम से कम 03 वर्ष या अधिक समय का किसी भी सरकारी/ अर्द्धसरकारी / स्वायत्त निकाय / पी.एस.यू. कार्यालय में किराये पर टैक्सियाँ उपलब्ध कराये जाने का अनुभव होना चाहिये। इसकी प्रमाणिकता हेतु कार्यादेश तथा कार्य सम्पूर्णता प्रमाण-पत्र (completion certificate) की सत्यापित प्रति संलग्न करनी अनिवार्य होगी तथा अनुभव प्रमाण-पत्र निम्नानुसार संलग्न करना होगा:-**

   पिछले तीन वित्तीय वर्ष के दौरान निविदादाता द्वारा सफलतापूर्वक टैक्सी संबंधी सेवाएँ निम्न प्रकार से प्रदान की गई हो (प्रति संलग्न करें):

   1. **समान सेवाओं (कार्यों) के तीन ठेकों के कार्यों / सेवाओं की लागत वर्तमान कार्य की अनुमानित लागत के 40% के बराबर से कम न हो। अथवा**
   2. **समान सेवाओं (कार्यों) के दो ठेकों के कार्यों / सेवाओं की लागत वर्तमान कार्य की अनुमानित लागत के 60% के बराबर से कम न हो। अथवा**
   3. **समान सेवाओं (कार्यों) के एक ठेके के कार्यों / सेवाओं की लागत वर्तमान कार्य की अनुमानित लागत के 80% के बराबर से कम न हो।**

कृ.पृ.उ.

5. निविदाकर्ता द्वारा दो बोली प्रणाली में (Two-bid system) (भाग- I: तकनीकी बोली और भाग- II: वित्तीय बोली) निविदा CPP वेबसाइट https://etenders.gov.in/eprocure/app ऑनलाइन नीचे दी गई महत्वपूर्ण तारीख पत्र में तिथि के अनुसार प्रस्तुत की जाएगी :

i) CPP Portal पर प्रकाशित तिथि	:	10.07.2020 प्रात: 09:30 बजे से
ii) निविदा प्रपत्र डाउनलोड आरंभ तिथि	:	10.07.2020 प्रात: 11:00 बजे से
iii) निविदा प्रपत्र डाउनलोड समाप्त तिथि	:	30.07.2020 सांय 03:00 बजे तक
iv) निविदा भरने की आरभ तिथि	:	10.07.2020 प्रात: 11:00 बजे से
v) निविदा भरने की समाप्ति की तिथि	:	30.07.2020 सांय 03:00 बजे तक
vi) पात्रता से संबंधित दस्तावेज (तकनीकी बोली) खोलने कि तिथि	:	31.07.2020 सांय 03:30 बजे

vii) वित्तीय बोली की निविदा खोलने की तिथि को पत्र / ई-मेल द्वारा सूचित कर दिया जाएगा।

ई.एम.डी. की राशि ₹1,20,000/- (एक लाख बीस हजार रूपये मात्र) डी.डी. / Banker's Cheque के रूप में निदेशक, सीएसआईआर- सीरी पिलानी के नाम से देय होगी, जिसकी मूल EMD (डी.डी. / Banker's Cheque) तकनीकी बोली (Technical Bid) खोलने से एक दिन पूर्व कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से अथवा डाक द्वारा प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इसकी एक प्रतिलिपि तकनीकी बोली (Technical Bid) के दस्तावेजों के साथ संलग्न की जानी होगी। यदि तकनीकी बोली से पूर्व मूल EMD (डी.डी. / Banker's Cheque) संलग्न नहीं की जाती है तो बोली को अस्वीकार माना जाएगा। वित्तीय बोली (Financial Bid) को खोलने की तिथि और समय के बारे में योग्य बोलीदाताओं (Qualified Bidders) को उचित माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा। निदेशक, सी.एस.आई.आर. - सीरी के पास किसी एक निविदा अथवा सभी निविदाओं को अस्वीकार करने या उन्हें आंशिक रूप से स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

प्रशासनिक अधिकारी

सी.एस.आई.आर. - केन्द्रीय इलेक्ट्रनिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान,

पिलानी (राजस्थान)

संख्या : 6-20(1)/2019 - टैक्सी दिनांक : 10/07/2020

संस्थान में परियोजनाओं एवं विभिन्न कार्यों हेतु वाहन जैसे इटिओस/डिजायर/एक्सेंट/अर्टिगा/इन्नोवा या इनके समकक्ष वाहनों को किराए पर लेने के लिए निविदाएँ आंमत्रित की जाती हैं ।

(क) योग्यताऐं (तकनीकी बोली हेतु) व चेकलिस्ट

निविदा संबंधी योग्यताऐं अनुलंग्नक - I के अनुसार होंगी तथा केवल योग्य निविदादाताओं (Qualified Bidders) की ही वित्तीय बोली (Financial Bid) खोली जाएगी। Financial Bids को खोले जाने की सूचना योग्य निविदादाताओं को पत्र / ई-मेल द्वारा दी जाएगी। उल्लेखनीय है, कि यदि चेकलिस्ट मे वांच्छित शर्त संबंधी दस्तावेज संलग्न नहीं होंगे, तो वह असफल निविदा मानी जाएगी।

(ख) कार्य की प्रकृति, नियम व शर्तें :

1. संस्थान को जब भी वाहनों की आवश्यकता होगी,वाहन (अधिकतम 60 मिनट के अन्दर) उपलब्ध कराना होगा।
2. संस्थान में दो तरह की टैक्सी वाहनों की आवश्यकता होती है। छोटे टैक्सी वाहन जैसे इटिओस/डिजायर/एक्सेंट या इनके समकक्ष आदि एवं बडे टैक्सी वाहन जैसे अर्टिगा/इन्नोवा या इनके समकक्ष वाहन आदि।
3. फर्म के मालिक के पास स्वंय की तीन टैक्सी वाहन जैसे इटिओस/डिजायर/एक्सेंट/अर्टिगा/इन्नोवा या इनके समकक्ष वाहन आदि होने चाहिए। वाहन के रजिस्ट्रेशन की प्रतिलिपि अवश्य लगाएँ।
4. निविदादाता के पास कम से कम 03 वर्ष या अधिक समय का किसी भी सरकारी संस्थान/ अर्द्धसरकारी कार्यालय / स्वायत्त निकाय / पी.एस.यू कार्यालय में किराये पर टैक्सियाँ उपलब्ध कराये जाने का अनुभव होना अनिवार्य होगा।
5. निविदादाता इस टेंडर फार्म के साथ संलग्न तालिका **भाग- II: मूल्य बोली (Price Bid) -Annexure II** के दोनों categories में अपने किराये की दरें (प्रति कि.मी.) लिखें।
6. कार्यादेश मिलने वाले निविदाकर्मी को स्थानीय डय़ूटी के लिए निम्नलिखित शर्तों पर टैक्सी उपलब्ध करानी होगी:-
   - (क) शून्य से 4 घण्टे तक की यात्रा के लिए अधिकतम 60 कि.मी. का भुगतान किया जायेगा।
   - (ख) 04 घण्टे से 6 घण्टे तक की यात्रा के लिए अधिकतम 100 कि.मी. का भुगतान किया जायेगा।

(ग) यदि वाहन का उपयोग 6 घण्टे से अधिक समय के लिए होता है, तो अगले प्रत्येक घण्टे का 20 कि.मी. प्रति घण्टे के हिसाब से Running Cost का भुगतान किया जाएगा, उल्लेखनीय है कि लोकल डयूटी में भुगतान की अधिकतम सीमा प्रति दिन 250 KM की दर से देय होगी।

(घ) ठेके का चुनाव करते समय 80% weightage छोटे वाहन को तथा 20% बडे वाहन को दिया जाएगा। L- 1 का निर्धारण 80% व 20% weightage के बाद निम्नानुसार किया जायेगा :-

छोटी टैक्सी के दर X 80 + बडी टैक्सी के दर X 20
100 100

7. यह अनुबन्ध एक वर्ष के लिए प्रभावी होगा, जो आवश्यकता पड़ने पर बढाया जा सकता है। सेवायें ठीक न होने पर निदेशक, सी.एस.आई.आर. - सीरी को अनुबंध समाप्त करने का अधिकार होगा।

8. अनुबंध के अंतर्गत लंबी दूरी के लिए पिलानी से बाहर जाने वाले वाहनों (For outstation taxi) के मामले में न्यूनतम दूरी के लिए 250 KM प्रतिदिन के किराये का भुगतान देय होगा।

(क) 'लोकल' शब्द से पिलानी के अन्दर व पिलानी के आस पास स्थित स्थान जैसे लुहारू, झुन्झुनूँ, चिडावा, राजगढ़, का अर्थ माना जायेगा।

(ख) 'आउट स्टेशन' शब्द का अर्थ है वह स्टेशन जो लोकल में नहीं आते जैसे दिल्ली, जयपुर, चंडीगढ़, पटियाला आदि।

9. (i) वातानुकूलित वाहनो का किराया सामान्य वाहनो के किराये से एक रूपया 1/-प्रति KM अधिक देय होगा।

(ii) Pick and Drop के मामलों में सवारी के बैठे होने की स्थिति में ही A/C का किराया देय होगा अन्यथा खाली वाहन के लिये Non A/C की दरें देय होगी।

(iii) रात्रि ठहराव (Night Stay) के मामले जहाँ A/C गाडी की requirement है, वहाँ तय की गई वास्तविक दूरी का ही A/C किराया देय होगा। इस स्थिति में न्यूनतम माइलेज व वास्तविक तय दूरी के अतंर के लिए Non A/C का किराया देय होगा।

10. माइलेज (कि.मी.) की गणना रिपोर्टिगं प्वाईंट से रिलिविगं प्वाईंट तक की होगी, ना कि गैराज से गैराज तक।

11. I) फर्म को गुड्स एण्ड सर्विस टैक्स पंजीकरण (GST Registration) का प्रमाण पत्र निविदा के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

ii) फर्म द्वारा प्रस्तुत बिलों के साथ अनिवार्य रूप से गुड्स एण्ड सर्विस टैक्स (GST) संबंधी रसीद सलग्न करनी होगी तभी इसकी प्रतिपूर्ति की जायेगी।

12. सभी टैक्सियाँ (Road worthy in all respects) अच्छी कंडीशन में होनी चाहिए तथा उनका मॉडल 2018 अथवा उसके बाद का होना चाहिए।
13. वाहनों के सभी आवश्यक दस्तावेज जैसे वाहन / वाहन-चालक बीमा, वाहन पंजीकरण, ड्राइविंग लाइसेन्स, प्रदूषण रहित प्रमाण -पत्र, फास्टैग, रोड -टैक्स इत्यादि पूर्ण होने चाहिए । निविदादाता किसी भी स्थिति मे LPG सिलेंडर युक्त वाहन उपलब्ध नहीं करवाएगें। वाहन संबंधी सभी वैधानिक कागजों को पूरा करने का दायित्व निविदादाता का होगा।
14. कार्यादेश दिये जाने के 15 दिनों के भीतर टैक्सी वाहनों में (Navigation/GPS/Satellite based tracking System) स्थापित (Install) करना होगा। सभी टैक्सियों में Navigation System स्थापित किया जाना आवश्यक होगा। जिसे Duty Slip के कॉलम में उल्लेख करना होगा।
15. वाहनों में किसी प्रकार की मरम्मत के व्यय का दायित्व संस्थान का नहीं होगा।
16. निविदादाता का कोई भी नजदीकी रिश्तेदार संस्थान का नियमित कर्मचारी / अधिकारी नहीं होना चाहिए। इसकी वचनबद्धता संलग्न करनी होगी।
17. फर्म द्वारा संस्थान को वाणिज्यिक टैक्सी ही प्रदान करनी होगी तथा इनके odometers अच्छी तरह से सील्ड व tamper proof होने चाहिए।
18. वाहन अन्दर-बाहर से साफ सुथरे होने चाहिये, सीटों पर सफेद स्वच्छ कवर लगे हों, आवश्यकता पडने पर Roof carrier की व्यवस्था करनी होगी।
19. वाहन-चालक की वर्दी साफ सुथरी, नामपटिटका युक्त तथा धुली हुई होनी चाहिए और यात्रा noise less होनी चाहिए।
20. वाहन-चालक को यात्रा के दौरान धूम्रपान / मदिरा पान करने की अनुमति नहीं होगी।
21. वाहन-चालक के पास यात्रा से संबंधित टौल टैक्स, फास्टैग, पार्किंग, ईंधन व आकस्मिक खर्चे हेतु पर्याप्त धनराशि होनी चाहिए।
22. यात्रा शुरू करने के स्थान पर वाहन निर्धारित समय पर पहुंचना चाहिए, अन्यथा जुर्माने के रूप में ₹ 200/- की कटौती वाहन के यात्रा बिल से की जाएगी तथा वाहन चालक को दी गई ड्यूटी के लिए बाध्य होगा ।
23. वाहन में निष्पादन (performance) तथा अनुरक्षण (Maintenance) संबंधी शिकायत मिलने पर शिकायतों को तुरंत दूर करना होगा।
24. आमतौर पर निविदादाता को यात्रा की समाप्ति की तिथि से 15 दिनों के अन्दर टैक्सी बिल प्रस्तुत करना होगा। देरी से प्रस्तुत किए बिल के संबंध में कोई शिकायत नही सुनी जाएगी।

25. स्वीकृत निविदादाताओं को बतौर बयाना राशि (EMD) ₹1,20,000/- (एक लाख बीस हजार रूपये मात्र) डिमाण्ड ड्राफट (डी.डी) / Banker's Cheque निदेशक, सीएसआईआर- सीरी पिलानी के नाम से बना कर तकनीकी बोली (Technical Bid) के साथ प्रतिलिपि संग्लन करना होगा।
26. संस्थान मे शनिवार, रविवार एवम् अन्य त्यौहार व अवकाश (24 X 7) के दिनों मे भी वाहनों की आवश्यकता होने पर वाहन उपलब्ध करवाना होगा।
27. केवल मुद्रित बिल ही स्वीकार किये जायेगें तथा बिल की (02) दो प्रतियाँ देनी होंगी ।
28. बिल में किलोमीटर का ब्यौरा संस्थान में उपलब्ध प्रारूप Duty Slip के अनुसार देना अनिवार्य होगा। Duty Slip दो प्रतियों में भरनी होगी जिसकी मूल प्रति मैन गेट यानि निर्धारित स्थान पर यात्रा समाप्त होने के तुरंत बाद देनी होगी। यदि Duty Slip निर्धारित स्थान पर नहीं दी गई है उनका दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा।
29. टैक्सी वाहनों के किराए के बिलों का भुगतान बिल प्राप्ति से संभवत: 30 दिनों के अन्दर RTGS/NEFT द्वारा किया जाऐगा।
30. संस्थान द्वारा किसी भी टैक्सी के पंजीकरण / बीमा, जमा किए गए टैक्स आदि की रसीद माँगी जा सकती है ।
31. निविदादाता को विभिन्न प्रकार के वैधानिक नियमों आयकर, सेवाकर, श्रम नियम आदि प्रावधान का पालन करना होगा । यदि कोई विधान द्वारा संस्थान को इस संबंध में कोई कर अदा करने के लिए सम्मन मिलेगा तो उसकी वसूली निविदादाता के बिलों/धरोहर राशि से की जाएगी व शेष, राशि यदि कोई हो तो, उसका भुगतान करने के लिए निविदादाता कानूनी तौर पर बाध्य होगा ।
32. सामान्यतः गाड़ियाँ दिल्ली/जयपुर जाती हैं, पर इसके अलावा उत्तर प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल, गुजरात, उतराचंल आदि भी जा सकती है, जिसके रोड टैक्स (State Tax) की मूल प्रति संलग्न किये जाने पर संस्थान द्वारा भुगतान किया जा सकेगा। यह भुगतान केवल दैनिक आधार पर कटे टैक्सों का ही होगा। वार्षिक/छमाही/तिमाही/सप्ताहिक आदि के लिये कटे टैक्स का संस्थान भुगतान नहीं करेगी ।
33. पिलानी से बाहर की डयूटी करने पर ड्राइवर के ठहरने की व्यवस्था व खाने के किसी प्रकार के व्यय के लिए संस्थान का कोई दायित्व नहीं होगा तथा वाहन चालको को देय सभी वैधानिक लाभ निविदादाता द्वारा देय होगें।
34. यात्रा के दौरान वाहन के ब्रेक डाउन / खराब हो जाने अथवा अन्य आकस्मिक परिस्थिति आने पर निविदादाता को शेष यात्रा के लिए तुरंत वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी एवं उस पर होने वाला व्यय स्वयं वहन करना होगा, अन्यथा शिकायत प्राप्त होने पर उस यात्रा का कोई भी भुगतान नहीं किया जायेगा तथा ₹1000/- Penalty दंड शुल्क वसूल किया जायेगा।

35. अनुबंध समाप्त करने व जारी रखने का अधिकार निदेशक सी.एस.आई.आर. - सीरी पिलानी के पास सुरक्षित रहेगा। उल्लेखनीय है कि संतोषप्रद सेवाये प्राप्त होने की स्थिति में निविदा का कार्यकाल विस्तार भी किया जा सकता है।
36. सशर्त निविदाएँ (Conditional Tender) स्वीकार नहीं की जाएँगी।
37. कार्यादेश की तिथि को पिलानी में डीजल की प्रभावी दर की कीमतों में रू +/- 5/- प्रति लीटर तक का परिर्वतन होने पर तदनुसार किराये मे परिर्वतन पर विचार किया जाएगा। यह परिवर्तन अगले दिन की तारीख से मान्य होगा। दरों में 18 कि.मी प्रति लीटर माईलेज के हिसाब से किराये की दरों में अनुपातिक परिर्वतन किया जाएगा तथा यह उभय-पक्षीय होंगी।
38. जिस फर्म/एजेन्सी को काम करने का कार्यादेश दिया जायेगा उस फर्म/एजेन्सी का पिलानी में कार्यालय होना आवश्यक होगा।
39. निविदा फॉर्म / प्रपत्र मे सभी पृविष्टियाँ साफ व स्पष्ट इंगित होनी चाहिए। किसी भी सूरत में तकनीकी व वित्तीस बोली फॉर्म मे बदलाव स्वीकार्य नहीं होंगे। सूचना भरते समय पर्याप्त जगह न होने की दशा में अतिरिक्त कागत (sheet) अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर करवाकर प्रस्तुत की जा सकती है।
40. निविदादाता को एक शपथ-पत्र संलग्न करना होगा जिसमें ' फर्म किसी भी केन्द्रीय सरकारी विभाग / मंत्रालय / सार्वजनिक क्षेत्र की ईकाई / स्वायतशासी संस्थाओं द्वारा अयोग्य धाषित नही किया गया हो। फर्म / प्रोपराइटर / साझेदार तथा निदेशक, भारत या विदेश में कहीं पर भी इनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज ना हो और साथ ही ठेका / अनुबंध सीएसआईआर की किसी भी प्रयोगशाला/ संस्थान द्वारा ठेका / अनुबंध अवधि समाप्ति पूर्व निरस्त नहीं किया गया हो।
41. यदि बाद में यह पाया जाता है या सद्धि हो जाता है कि किसी निविदादाता / फर्म द्वारा गलत तथ्य / सूचना देना या तथ्य झूठे साबित हो जाते हैं या कोई भी तथ्य आदि जालसाजी पाये जाते हैं तो निविदादाता / फर्म द्वारा जमा करवाई गई EMD / Security Deposit जैसा भी मामला हो जब्त कर ली जाएगी और किसी भी प्रकार की छूट / माफी पर विचार नही किया जाएगा।
42. तकनीकी बोली खोलने के बाद किसी भी निविदादाता / फर्म को अपनी बोली (bid) वापस लेनी की अनुमति नही होगी। यदि तकनीकी बोली खोलने के बाद कोई भी निविदादाता / फर्म अपनी बोली (bid) वापस लेना चाहेगा तो उसकी बयाना राशि (EMD / Security Deposit) जब्त करली जाएगी।

43. निविदादाता विशेषत: निविदा के भाग- II: मूल्य बोली (Price Bid - Annexure II) में अपनी दरों के अलावा अन्य किसी शर्त को ना ही जोडेगें, ना घटाऐंगें, ना उल्लेख करेगें, ना ही परिर्वतित करेगें। इसकी अवमानना होने पर मूल्य बोली (Price Bid) रद्द मानी जाएगी।

44. निविदा के हर एक प्रपत्र पर निविदादाता के मुहर सहित हस्ताक्षर होने चाहिए। निविदाओं को खोलने की तारीख से 90 दिनों की अवधि तक इसे स्वीकृति के लिए वैध माना जाएगा, जिसे पारस्परिक सहमति पर बढ़ाया जा सकता है।

45. न्यूनतम बोली दाता / फर्म (bidder) कार्यादेश दिये जाने के उपरान्त यदि किसी कारणवश सेवाऐं देने में असमर्थ होता है तो यह अनुबंध रद्द माना जाऐगा और उसकी बयाना राशि (EMD) जब्त कर ली जाएगी और फर्म को ब्लैक लिस्ट किया जायेगा।

46. निदेशक, सी.एस.आई.आर. - सीरी, पिलानी को किसी एक / सभी निविदाओं को अस्वीकार करने तथा किसी निविदा को आंशिक रूप से स्वीकार करने का पूर्ण अधिकार सुरिक्षत होगा, साथ ही उन्हें बिना कोई कारण बताए न्यूनतम निविदा को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार होगा।

47. किसी भी रूप में कैनवासिंग निषिद्ध है और निविदा निर्धारण के दौरान यदि कोई निविदादाता कैनवासिंग करता हुआ पाया जाता है, तो उसकी निविदा रद्द कर दी जाएगी।

प्रशासनिक अधिकारी

Annexure-I **(Envelop - I)**

TECHNICAL- BID

Check List for Technical Bid 2020-21

S.No	Name of Documents	Remarks (put a √ or X mark, if documents is attached or not attached)	Details of the Documents & page No.
1.	Name of the Agency / Firm		
2.	Nature of the concern (i.e. sole proprietor or partnership firm or a company or a Govt. Department or a P.S.U.)		
3.	Whether EMD Rs. 1,20,000/- enclosed (No. and Date of issuance of DD/ Banker's cheque)		
4.	PAN Card of the Agency / Firm / Proprietor (copy to be enclosed)		
5.	Year of Registration / Incorporation of the firm (certificate to be enclosed) (Registration No.)		
6.	Goods & Service Tax Code No. (certificate to be enclosed)		
7.	Annual turnover of the firm & Income Tax return of the Agency (not individual) for last three financial years 2016-2017, 2017-2018 & 2018-2019 (certificate by CA to be enclosed) as per Point No. 04 of NIT conditions		
8.	Service Tax paid during Financial year 2016-2017, 2017-2018 & 2018-2019 (Proof / certificate to be enclosed)		
9.	No. of year of experience for providing taxi to Govt. / Semi-Govt. Sector (certificate & award letters to be enclosed)		
10.	Name and address of the organizations / offices where firm has provided vehicle for minimum 03 year on regular basis. (certificate to be enclosed)		
11.	Total Number of Taxis registered with Agency (certificates of RCs of 03 taxis are to be enclosed) Vehicle Models year 2018 or later		
12.	Whether debarred / Blacklisted by any Institution / Organization (undertaking to be enclosed)		
13.	No Relation certificate (undertaking to be enclosed)		

Certified that all terms and conditions of the CSIR-CEERI are acceptable to us. We are not in any major litigation that may have an impact of affecting or compromising the delivery of the services as required under this tender.

(Signature of the Authorized person of the Firm)

Date: Name

Place: Address with seal

E-Mail

Tel.No. / Fax No.

Annexure-II

FINANCIAL – BID
2020-21

Non A/C Rates per day for Hiring of Taxi at CSIR-CEERI Pilani (For outstation duty)

S.No	Type of vehicle (Non A/C)	Outstation Charges @ …… Rs./K.m.
1.	1st Category (Smaller Taxis) i.e. Dezire/Accent /Etios etc.	Rs…………………….. Per KM
2.	2nd Category (Bigger Taxis) i.e. Innova / Ertiga etc.	Rs…………………….. Per KM
3.	Night Charges, if any {before quoting rate of night charges please see point no. 6 (घ) of terms and conditions of NIT}	Rs…………………….. Per Night

Note : 1. For Air conditioned vehicle extra charges of Rs 1/- per KM would apply, as per item No. 9 of the terms and condition of the tender document.

Note : 2. For outstation, the minimum charges payable would be for 250 K.M. per day.

Place: **Name of firm…………………………………**

Date: **Signature………….………………………….**

Address…………….………………………….

Phone No………………………………………

E-Mail Address……………………………......